न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 196 / 2022

अनवान : –

1. सलोचना पत्नि रामनिवास जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. अनिल पुत्र सन्तोष जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. अमरसिंह पुत्र मामराज जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
3. अशोक कुमार पुत्र सन्तोष जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
4. कुरडाराम पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
5. कर्णपाल सिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी अरारजाना तहसील नोहर
6. काशीराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
7. किसनलाल पुत्र निकूराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर
8. गोविन्द कंवर पुत्री बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी असरजाना तहसील नोहर
9. जगदीश पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
10. दयाराम न्यौल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
11. दलीपसिंह पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
12. देवीलाल पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
13. नरमा पत्नि चन्दुराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर
14. नवलसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी असरजाना तहसील नोहर
15. निकूराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
16. प्रतापसिंह पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
17. बंजरगसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी असरजाना तहसील नोहर
18. बद्रीप्रसाद पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
19. बलवीरसिंह पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
20. भागीरथ पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
21. मुखराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
22. रजो पत्नि हेतराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
23. रणजीतसिंह पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
24. राजकुमार पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
25. राजाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
26. रामी देवी पत्नि भूपसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर
27. रामकृपालसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी अरारजाना तहसील नोहर
28. रामकुमार पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
29. रामकुमार पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
30. रामकिशन पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
31. लादूराम पुत्र निकूराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर
32. सजना पत्नि राजाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
33. सुन्दरी देवी पत्नि अमरसिंह जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
34. सरला पत्नि कृष्ण कुमार जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर
35. सुलतान पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
36. सुशील कंवर पुत्री बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी असरजाना तहसील नोहर
37. राजस्थान स्टेट जरिये उप तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
38. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– गैरसायालान

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:44 IST
Reason: SelfAttested

<u>[illegible]ार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>[illegible]न्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति – 1. श्री [illegible]पाल झोरड़ अधिवक्ता [illegible]ल

2. श्री [illegible]राम गोदारा अधिवक्ता [illegible]ायल स0 34

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांकः 09/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं. 118/120 के ख.न. 122 की 1.8080 हैक्टर ख.न. 189 की 1.0120 हैक्टर ख.न. 190 की 6.5880 हैक्टर ख.न. 191 की 0.5060 हैक्टर ख.न. 204 की 5.9320 हैक्टर ख.न. 257 की 7.0450 हैक्टर ख.न. 96 की 5.1470 हैक्टर भूमि कुल तादादी 28.0380 हेक्टर भूमि स्थित है जो सयुक्त खाता की भूमि है ।दग्रस्त भूमि में वादिया 316/4673 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा सहकाश्तकार अधिक होने के कारण सींव व काश्त का आये दिन विवाद रहता है तथा सायला जो कि एक औरत जात है जिसे अन्य सहखातेदार काश्तकार तंग व परेशान करते रहते है इसलिए सायला मुताबिक हक व हिस्सा व मुताबिक किस्म भूमि अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी भूमि के हिसाब से खाता विभाजन करवा पाने की अधिकारिणी है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी क्रेतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व भूमि की किस्म परिवर्तित न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 118/120 की कुल 28.0380 हैक्ट मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अकृषि उपयोग/प्रयोग न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 34 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उभयपक्ष के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल द्वारा गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया अप्रार्थीगण रिकार्डेड खतोदार है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाह अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है 316/4673 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा सहकाश्तकार अधिक होने के कारण सींव व काश्त का आये दिन विवाद रहता है तथा सायला जो कि एक औरत जात है जिसे अन्य सहखातेदार काश्तकार तंग व परेशान करते रहते है एवं अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खाता की भूमि की किस्म परिवर्तन व रहन, बैय करने पर उतारू है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जावे।

Signature Not Verified

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में नि[illegible] की उक्त वाद भूमि उभयपक्ष के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] सायलान को तंग व परेशान करने के

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया अप्रार्थीगण रिकार्डेड खतोदार है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बावत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं. 118/120 के ख.न. 122 की 1.8080 हैक्टर ख.न. 189 की 1.0120 हैक्टर ख.न. 190 की 6.5880 हैक्टर ख.न. 191 की 0.5060 हैक्टर ख.न. 204 की 5.9320 हैक्टर ख.न. 257 की 7.0450 हैक्टर ख.न. 96 की 5.1470 हैक्टर भूमि कुल तादादी 28.0380 हेक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि कार्य किया जा रहा है। कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण कार्य किया जाना न्यायोचित है अतः उक्त विवेचनानुसार उभयपक्षों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि उपयोग/प्रयोग हेतु पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 118/120 की कुल 28.0380 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्षो को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि उपयोग/प्रयोग हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:44 IST
Reason: SelfAttested